प्रेस विज्ञप्ति

05.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने **पर्यावरण और जल प्रदूषण** के एक मामले के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मैसर्स जीटीएन इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड के बैंक खाते में पड़ी 51.24 लाख रुपये (लगभग) की राशि को अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने मेसर्स जीटीएन इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड (औपचारिक रूप से मेसर्स परफेक्ट निटर्स लिमिटेड के रूप में नामित) और अन्य के खिलाफ जांच शुरू की, जो तेलंगाना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएसपीसीबी) द्वारा संगारेड्डी में माननीय अतिरिक्त न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष मेसर्स जीटीएन इंजीनियरिंग (आई) लिमिटेड के खिलाफ जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 24, 43 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के तहत अपराध करने के लिए दायर अभियोजन शिकायत पर आधारित है। उक्त शिकायत के अनुसार, मेसर्स जीटीएन इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड ने टीएसपीसीबी के अनिवार्य दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया और बाद में टीएसपीसीबी द्वारा जारी निर्देशों की निरंतर उपेक्षा के कारण, आसपास के इलाकों में निरंतर जल और वायु प्रदूषण हुआ।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स जीटीएन इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड अपने एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट को नियमित रूप से संचालित करने में विफल रहा और इस तरह 51.24 लाख रुपये (लगभग) का खर्च बचाया। 51.24 लाख रुपये (लगभग) की उक्त राशि कंपनी द्वारा अपशिष्टों के उपचार पर अपेक्षित व्यय न करके प्राप्त होने वाला आर्थिक लाभ है, जिसके कारण टीएसपीसीबी की शर्तों का उल्लंघन हुआ और पर्यावरण प्रदूषण कानूनों के तहत अनुसूचित अपराध हुए। हालांकि, संयंत्र के बंद होने के बाद, उद्योग ने तरल और ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए 23.83 लाख (लगभग) रुपये का खर्च किया, पर्यावरण और पारिस्थितिक प्रणाली को अपरिवर्तनीय क्षति पहले ही हो चुकी थी। मानदंडों के अनुसार खतरनाक कचरे का निपटान या उपचार न करके, मेसर्स जीटीएन इंजीनियरिंग (आई) लिमिटेड ने सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया और इस प्रकार अपराध की आय 51.24 लाख रुपये (लगभग) प्राप्त की और उक्त निधियों को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में मिलाकर इसका आनंद लेती रही।

तदनुसार, मेसर्स जीटीएन इंजीनियरिंग (इंडिया) लिमिटेड के बैंक खातों में पड़ी 51.24 लाख रुपये (लगभग) की राशि को पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया गया है।

आगे की जांच प्रगति पर है।